



स्वतंत्र प्रभात दैनिक अखबार तथा ऑनलाइन चैनल से सीधा जुड़ने के लिए संपर्क करें.....
951151254

@swatantraprabhatmedia @swatantramedia RNI.No. UHIN/2012/43078 (epaper.swatantraprabhat.com) @SwatantraPrabhatonline news@swatantraprabhat.com

सीतापुर से प्रकाशित एवं अयोध्या, प्रयागराज, मिर्जापुर, गोरखपुर, बरेली, बुंदेलखंड, उत्तराखंड, देहरादून

सीतापुर, गुरुवार, 04 जून 2026

वर्ष 14, अंक 55, पृष्ठ 04, मूल्य: 01 रुपया
www.swatantraprabhat.com

गाजियाबाद, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, झारखण्ड, बिहार, मध्य प्रदेश, असम, तेलंगाना आदि जनपदों में प्रसारित

अधिवक्ता हितों की प्रभावी पैरवी से वैबर आवंत की दरें एवं सुरक्षा निधि में ऐतिहासिक संशोधन...04

शादीशुदा बेटी भी रोजगार की पात्र... अनुकंपा नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

● सुप्रीम कोर्ट ने माता-पिता पर आश्रित विवाहित बेटियों को अनुकंपा नियुक्ति के पात्र माना है। इससे पहले ने इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में कस या कि अनुकंपा नियुक्ति के उद्देश्य से परिवार की परिभाषा में विवाहित पुत्री को शामिल नहीं किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को रद्द किया है।



कोई अक्षमता न होने पर भी विवाहित पुत्रियों को अनुकंपा नियुक्ति के दावों को अस्वीकार किया जा सकता है।

दुकान चलाने के लाइसेंस के लिए याचिका की थी दायर

इस मामले में याचिकाकर्ता, जो एक विवाहित पुत्री है। उसने अनुकंपा के आधार पर उचित दुकान चलाने के लाइसेंस के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इसमें 2019 के उस सरकारी आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें विवाहित पुत्रियों को 'परिवार' की परिभाषा से बाहर रखा गया था। दरअसल विवाहित होने के बावजूद वह अपने परिवार के साथ रहती थीं। एक विकलांग बहन की देखभाल करती थी और अपनी मां के साथ दुकान चलाती थीं। अपनी मां के निधन के बाद याचिकाकर्ता ने लाइसेंस के लिए आवेदन किया, जिसे अस्वीकार कर दिया गया।

पहले के कुछ निर्णयों पर किया गया विचार

हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने अदालत के समक्ष मौजूद पूर्व निर्णयों पर विचार किया। उन्होंने विमल श्रीवास्तव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2015) मामले में खंडपीठ के फैसले पर गौर किया, जिसमें सेवा संबंधी मामले में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए 'परिवार' की परिभाषा से संबंधित उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की भर्ती नियम, 1974 के एक समान प्रावधान की व्याख्या करते हुए यह माना गया था कि विवाहित बेटियों को परिवार की परिभाषा से बाहर रखना असंवैधानिक है क्योंकि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का 'परिवार' की परिभाषा से बाहर रखा गया था। दरअसल विवाहित होने के बावजूद वह अपने परिवार के साथ रहती थीं। एक विकलांग बहन की देखभाल करती थी और अपनी मां के साथ दुकान चलाती थीं। अपनी मां के निधन के बाद याचिकाकर्ता ने लाइसेंस के लिए आवेदन किया, जिसे अस्वीकार कर दिया गया।

भेदभावपूर्ण नहीं है। इसमें यह भी माना गया कि 2019 के सरकारी आदेश की व्याख्या उस तरह से नहीं की जा सकती जिस तरह से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हार्नेस नियमों के प्रावधानों की व्याख्या की थी।

इसी तरह का मत सैदा बेगम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2023) मामले में खंडपीठ द्वारा भी व्यक्त किया गया था। न्यायाधीश ने इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने रजना मामले में बांब्रे हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और इलाहाबाद हाईकोर्ट के विपरीत निर्णयों को रद्द कर दिया।

चार सप्ताह के भीतर वैध लाइसेंस देने का आदेश

आज सुनाए गए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सैदा बेगम का मामला सही कानूनी आधार नहीं है। इस मामले में रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों से यह सिद्ध होता है कि अपीलकर्ता विवाह के बाद भी उसी गांव में रहती रही और उचित मूल्य की दुकान चलाने में अपनी मां की सक्रिय रूप से सहायता करती रही। अपनी मां के निधन के बाद अपीलकर्ता ने अपनी बहन, जो शारीरिक रूप से अक्षम थीं, उनकी जिम्मेदारी संभाली।

विवाहित पुत्री होने के आधार पर उसका आवेदन खारिज करना संवैधानिक रूप से अमान्य है। सुप्रीम कोर्ट ने उसे लाइसेंस देने से इनकार करने वाले आदेशों को रद्द कर दिया और सक्षम अधिकारियों को चार सप्ताह के भीतर वैध लाइसेंस आदेश जारी करने का निर्देश दिया।

फ्रीज संपत्ति की कीमतों की रक्षा भी जरूरी...हरि शंकर तिबरेवाल केस में छत्तीसगढ़ HC का बड़ा फैसला

● कानूनी क्षेत्र में इस फैसले को एक महत्वपूर्ण विकास के रूप में देखा जा रहा है।

● माना जा रहा है कि यह आदेश भविष्य में धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत फ्रीज की गई प्रतिभूतियों और बड़े निवेश पोर्टफोलियो से जुड़े मामलों के लिए एक उपयोगी मार्गदर्शक सिद्ध हो सकता है



प्रवर्तन निदेशालय (ED) के समक्ष एक प्रस्ताव प्रस्तुत कर सके। कोर्ट ने माना कि सूचीबद्ध शेयरों और बाजार आधारित निवेशों को अनिश्चितकाल तक फ्रीज रखे जाने की स्थिति में उनके मूल्य पर बाजार की अस्थिरता का प्रभाव पड़ सकता है। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए अदालत ने लिबत कार्यवाही के दौरान भी संपत्तियों के आर्थिक हितों की सुरक्षा को महत्व दिया है।

हरि शंकर तिबरेवाल से जुड़ा मामला क्या है?

यह मामला उद्योगपति हरि शंकर तिबरेवाल से जुड़े होने के कारण भी विशेष चर्चा में है। हालांकि मामले के गुण-दोष पर अंतिम निर्णय संबंधित सक्षम प्राधिकरणों द्वारा लिया जाना अभी शेष है, लेकिन हाईकोर्ट की यह टिप्पणी निवेशित संपत्तियों के संरक्षण के प्रति एक संतुलित और व्यावहारिक दृष्टिकोण को दर्शाती है।

423 करोड़ के निवेश पोर्टफोलियो से जुड़े इस मामले में हाईकोर्ट का दृष्टिकोण एसेट वैल्यू प्रोटेक्शन की अवधारणा को नई मजबूती प्रदान करता है। आदेश यह संकेत देता है कि लंबी कानूनी प्रक्रियाओं के दौरान संपत्तियों के वास्तविक आर्थिक मूल्य को सुरक्षित रखने के उपायों पर भी विचार किया जाना चाहिए।

आर्थिक मोर्चे पर कोर्ट का न्यायिक संतुलन


कोर्ट का यह दृष्टिकोण न्यायिक संतुलन, आर्थिक व्यावहारिकता और संपत्तियों के मूल्य संरक्षण के बीच समन्वय स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे यह संदेश भी जाता है कि कानूनी प्रक्रिया के दौरान संपत्तियों को सुरक्षित रखने के साथ-साथ उनके आर्थिक मूल्य की रक्षा भी समान रूप से आवश्यक है।

न्यायिक संतुलन और आर्थिक व्यावहारिकता का उदाहरण

कानूनी जानकारों के अनुसार हाईकोर्ट का यह फैसला न्यायिक संतुलन, आर्थिक व्यावहारिकता और संपत्तियों के संरक्षण के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की दिशा में एक अहम कदम है। यह आदेश इस बात पर जोर देता है कि जांच और कानूनी प्रक्रिया के दौरान संपत्तियों की सुरक्षा के साथ-साथ उनके आर्थिक मूल्य की रक्षा भी समान रूप से महत्वपूर्ण है।

संक्षिप्त खबरें

सुरक्षा का फीड बैक लेने सड़क पर उतरे अलीगढ़ SSP नीरज जादौन, पैदल गश्त कर लोगों से किया संवाद



अलीगढ़। जिले में कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाए रखने के उद्देश्य से चरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन ने मंगलवार को पुलिस अधिकारियों और जवानों के साथ नगर क्षेत्र में पैदल गश्त किया। इस दौरान मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों, संवेदनशील स्थानों, प्रमुख चौराहों, बाजारों और भौड़भाड़ वाले इलाकों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया।

कानून व्यवस्था के महनेजर एसएसपी ने शहर में किया पैदल गश्त

पैदल गश्त क्वारसी चौराहे से किशनपुर तिराहा, गांधीआड तिराहा, सेंटर प्लांट, रेलवे स्टेशन, एसबीआइ तिराहा, दीवानी न्यायालय होते हुए पुलिस लाइन तक किया गया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने स्थानीय नागरिकों और व्यापारियों से संवाद स्थापित कर सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में फीडबैक लिया तथा उन्हें सतर्क और जागरूक रहने की अपील की।

लोगों को सुरक्षा के प्रति किया आश्वस्त

एसएसपी ने लोगों को सुरक्षा के प्रति आश्वस्त करते हुए कहा कि जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी तरह सतर्क है। उन्होंने अधीनस्थ अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए कि वे मुख्य मार्गों, चौराहों, बाजारों और अन्य भौड़भाड़ वाले स्थानों पर लगातार भ्रमणशील रहें तथा संदिग्ध व्यक्तियों और गतिविधियों पर कड़ी नजर रखें। गश्त के दौरान पुलिस अधीक्षक नगर आदित्य बंसल, पुलिस अधीक्षक यातायात प्रवीण कुमार, क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय धनंजय सिंह, क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय सर्वम सिंह भी थे।

नदी की धारा को रोककर लगातार किया जा रहा है अवैध खनन

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

चोपन/सोनभद्र- सोन नदी के नाम पर पखु जिला सोनभद्र की जीवन धारा सोन नदी को ही माना जाता है। बता दें कि सोनभद्र में ही रेणुका, बिजूल, घाघरा, कुनहर आदि अनेक नदियां हैं इन नदियों में अवैध खनन गौर जोर से जारी है। अवैध खनन करने के लिए खनन पट्टाधारक नदी के बीचों बीच मशीनों के द्वारा बालू का उत्खनन किया जा रहा है जहाँ खनन खननकर्ताओं द्वारा नदी की धारा को पूरी तरह से रोक दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार खनन धारक का पट्टा अगोरी किले के पश्चिम साइड में स्वीकृत हुआ था पर वहां पर खनन तो जारी है लेकिन वहां से हट करके खनन धारक द्वारा नदी के बीचों-बीच प्राचीन शिव मंदिर गोठानी के पास तक खनन करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। जबकि कुछ दूरी पर रुद्रमार्निंग है जो की लगातार अवैध खनन के कारण सुखियों में छया रहता है। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या जिले के जिम्मेदार अधिकारी खनन अधिकारी एनजीटी के अधिकारियों को यह सब दिखाई नहीं दे रहा है। पर्यावरणविदों/ जानकारों का कहना है कि नदी की धारा रुकने के कारण जलीय



जीव जंतुओं के जीवन पर गहरा असर पड़ रहा है और वे लगभग विलुप्त होते चले जा रहे हैं। प्रदेश से संटे मध्य प्रदेश में जलीय जीव जंतुओं के अन्धकारण के लिए जगह को चिन्हित करके उनके रहने और प्रजनन की कार्यवाही कराई जा रही है वहीं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिलों में इन सब नियमों को दरकिनार कर लगातार अवैध खनन जारी है। प्रतिदिन हजारों गाड़ियां ओवर लोड होकर नदी से निकलती हैं और उन गाड़ियों में से पानी का रिसाव लगातार जारी रहता है जिससे रुद्रमार्निंग है जो की लगातार अवैध खनन वाली सड़क को भारी नुकसान हो रहा है। सड़क पर जगह-जगह गड्डे होते जा रहे हैं ओवरलोड गाड़ियां चलने की वजह से नदियों पर जो पुल बनाए गए हैं उनकी स्थिति जर्जर होती जा रही है। सड़कों के किनारे पुलों पर बालू के गिर जाने के कारण अगर कोई बाइक

पद बदलते रहे, जिम्मेदारियां बदलती रही लेकिन वैसा ही रहा सुजीत कुमार पाण्डेय का काम करने का अंदाज

» अपनी सादगी और मानवीय व्यवहार के साथ अपराधियों के प्रति सत रुख के लिए अलग पहचान रखते हैं डीजी अग्निशमन सुजीत कुमार पाण्डेय

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। अपनी सादगी और मानवीय व्यवहार के साथ ही अपराध और अपराधियों के सख्त रुख के लिए पहचाने जाने वाले वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सुजीत कुमार पाण्डेय के पास पद कोई भी भी हो पर वे अपराधी कार्यकुशलता से हमेशा चर्चा में रहते हैं। ऐसा ही कुछ नजारा उनके कार्यालय में उस वक्त देखने को मिला जब दूरदराज से आये फरियादियों को उन्होंने प्रार्थमिकता से सुना और उनको समस्या का निराकरण भी किया। वर्तमान में पुलिस महानिदेशक अग्निशमन का दायित्व संभाल रहे आईपीएस सुजीत कुमार पाण्डेय के स्वभाव से हर कोई वाकिफ हैं जिन्होंने हमेशा अपनी बेहद ईमानदारी और कर्मठता के साथ विभाग की सेवा की है।

दिन मंगलवार समय अपराह्न 2 बजे..... साहब ने अपने स्टाफ से पूछा कोई मिलना तो नहीं चाहता, उन्हें लाना। एक बेटी अपने पिता जसपाल सिंह को व्हील चेयर से लेकर डीजी साहब के कमरे में प्रवेश किया।

सुजीत पांडे: क्या हुआ बेटा:

बेटी: सर मेरे पिताजी व्हील चेयर पर है और रामपुर से समय खत्म हो गया है उनका स्थानांतरण लखनऊ हुआ है ये अकेले इतनी दूर इनकी देख रख करने वाला कोई नहीं है। कुपचा इनका स्थानांतरण निरस्त कर दीजिए।
डीजी साहब: हो जायेगा बेटा। समस्या भी जटिल थी लेकिन ऐसे अपसर जिनकी वाकई में जितनी तारीफ की जाये कम है। इसके बाद ओम प्रकाश सिंह जो आगरा में तैनात है जो पूरी तरह से पैरालिसिस से पीड़ित है जो अपने परिवार के साथ आए थे, उन्होंने अपना स्थानांतरण फिरोजाबाद करवाने का आग्रह किया। हमेशा परेशानी में क्यों न उनका स्टाफ हो छोटा हो या बड़ा लेकिन उनका नजरिया हमेशा सबके लिए एक सा ही रहता है। आईपीएस सुजीत कुमार पाण्डेय ने अपने



सरल स्वभाव मुद्दाभी सौम्यता से अपनी अलग पहचान बनाई है। डीजी अग्निशमन सुजीत पांडे का यह कोई आज का ही नहीं बल्कि रोज की दिनचर्या है। जनता हो या उनका स्वयं का स्टाफ सभी की परेशानी सुनकर समस्या का निस्तारण उनकी प्रार्थमिकता में रहता है। एक एसएफओ ने बताया मैंने ट्रांसफर की ऐसी लिस्ट थी बिल्कुल साफ थी जिसमें न कोई भेदभाव था न जातिवाद पहली बार देखा शायद। उस ट्रांसफर लिस्ट में ऐसे कर्मचारी थे जो अपने जिलों के फायर स्टेशन में 7 साल से 18 साल से तैनात थे जिनको हटाना मुश्किल था उनको भी हटाने का काम किया गया ऐसी निष्पक्षता शायद ही किसी अधिकारी में देखने को मिलती है।

विद्युत कटौती व लो वोल्टेज से उपभोक्ता परेशान



स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सिद्धार्थनगर। उसका बाजार नगर पंचायत के आधा नगर, सुभाष नगर और आजाद नगर मोहल्ले में अनियमित विद्युत कटौती और लो वोल्टेज से आजिज उपभोक्ताओं का सब्र जवाब दे रहा है। लो वोल्टेज से जुझ रहे उपभोक्ताओं ने विभाग के खिलाफ जमकर भड़सा निकाली। रात में ही लोग उपकेंद्र पर जा धमके और विद्युत आपूर्ति दुरुस्त कराने के लिए कनिष्ठ अभियंता कायम सिंह से बात की। समस्या दूर करने का आश्वासन मिला तब जाकर लोग शांत हुए। इन क्षेत्रों में कई दिनों से बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या बनी हुई है। परेशान उपभोक्ताओं ने कई बार बिजली अधिकारियों से इस समस्या

लालगंज में खाकी की बड़ी लापरवाही: सिपाही से लेकर दरोगा तक सब नदारद, बंद शटर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

● लालगंज पुलिस चौकी का शटर बंद देख भड़की जनता, अब देखना है तेज-तरार स्क्वबस्ती क्या करेगे कार्रवाई

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बस्ती। जिले में कानून-व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त रखने और जनता को 24 घंटे सुरक्षा देने के दावों को धुसा बताती हुई एक वार्डों में लगातार कई दिनों से आमजनता बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या से जूझ रही है। शिकायतों के बावजूद अधिकारियों की ओर से समस्या को दूर करने के लिए प्रयास नहीं किया गया, इसका लिए कनिष्ठ अभियंता कायम सिंह से बात की। समस्या दूर करने का आश्वासन मिला तब जाकर लोग शांत हुए। इन क्षेत्रों में कई दिनों से बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या बनी हुई है। परेशान उपभोक्ताओं ने कई बार बिजली अधिकारियों से इस समस्या

सिपाही से लेकर होमगार्ड तक

गायब, फरियादी बेहाल

स्थानीय लोगों के अनुसार, लालगंज पुलिस चौकी पर कागजों में सिपाही, दरोगा और होमगार्ड्स की बकायद तैनाती है। क्षेत्र की सुरक्षा का जिम्मा इन्हीं कंधों पर है। लेकिन जमीनी हकीकत इसके उलट नजर आई। ड्यूटी के मुख्य समय पर भी चौकी परिसर में एक भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था। दूर-दराज से अपनी शिकायतें और फरियाद लेकर आए पीड़ित लोग चौकी का बंद शटर देखकर हैरान रह गए। काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब कोई जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी वहां नहीं पहुंचा, तो स्थानीय नागरिकों ने इस पूरे नजारे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने पुलिसिया मुस्तेदी की पोल खोलकर रख दी है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जिस चौकी को जनता की सुरक्षा का ठिकाना होना चाहिए था, वहां करना बंद कर देते हैं। जिसकी वजह से रात्रि में बड़ी परेशानी उठनी पड़ती है। इन लोगों ने इसके स्थिति समाधान के लिए मांग की है।



व्यापारियों और स्थानीय निवासियों का कहना है कि अगर दिनदहाड़े पुलिस चौकी ही बंद रहेगी, तो आम जनता अपराधियों के खोफ के बीच अपनी सुरक्षा के लिए किसके पास जाएगी? इस बेफिक्री ने पुलिस की कार्यप्रणाली को भी कटभरे में खड़ा कर दिया है।

अब देखना है तेज-तरार पुलिस अधीक्षक क्या करेगे कार्रवाई?

वीडियो के सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैलने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। मामला आला

अधिकारियों के संज्ञान में पहुंच चुका है। बस्ती जिले के पुलिस अधीक्षक (SP) अपनी तेज-तरार कार्यशैली और अनुशासनहीनता के खिलाफ सख्त रुख अपनाने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में अब पूरी क्षेत्र की जनता की निगाहें उन्हीं पर टिकी हैं। अब देखना यह होगा कि इस घोर लापरवाही को लेकर तेज-तरार पुलिस अधीक्षक बस्ती दौधियों पर क्या और कितनी सख्त कार्रवाई करते हैं, ताकि भविष्य में जनता की सुरक्षा के साथ ऐसा खिलवाड़ दोबारा न हो।

